

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या 1364 FP/UK/ROAD/16306/2015 देहरादून:दिनांक: 09 नवम्बर, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत रावतसेरा-डोबरगड़ा-धारी मध्या-रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2,425हेतु 0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
FP/UK/ROAD/16306/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-1358 दिनांक 09-11-16 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

10  
(विनोद कुमार) ।।८  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या FP/UK/ROAD/16306/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद-बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० बागेश्वर।

  
(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत रावतसेरा-डोबरगड़ा-धारी मध्या-रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.425हौ0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
FP/UK/ROAD/16306/2015

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर में 1.427हौ0 राजस्व वनभूमि, 0.646 आरक्षित वनभूमि एवं 0.352हौ0 पंचायत भूमि अर्थात कुल 2.425 हौ0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन अतः — जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत रावतसेरा-डोबरगड़ा-धारी मध्या-रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर: *V/o*  
नाम व पदनाम: ( विनोद कुमार नाथ )  
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, नालंदा अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून

सरकारी मोहर:  
तिथि 09 / 11 / 2016  
स्थान : देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक—1358 FP/UK/ROAD/16306/2015 देहरादून:दिनांक: 09 नवम्बर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:— जनपद—बागेश्वर में रावतसेरा—झोबरगढ़ा—धारी—मध्या—रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.425 हेट  
वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाइन फाईल संख्या FP/UK/ROAD/16306/2015)

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र  
संख्या—MISC/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयाकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी  
की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम,  
1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न.—यथोपरि।

भवदीय,

UP  
(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या : 1358 FP/UK/ROAD/16306/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

UP  
(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी